न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश सप्तम्, दानापुर

(उपस्थितः– संतोष कुमार गुप्ता, अपर सत्र न्यायाधीश सप्तम्, दानापुर)

जमानत आवेदन संख्या– 871/2026

(दानापुर थाना कांड संख्या– 697/2026)

प्रसुन कुमार, पिता– राज कुमार, निवासीः वार्ड नं0–16, सगुना, थाना– दानापुर, जिला– पटना। .... आवेदक

बनाम

बिहार सरकार .... विपक्षी

आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ताः श्री गौतम कुमार, (अधिवक्ता)

विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता : श्री रामकेश्वर प्रसाद (विद्वान अपर लोक अभियोजक)

आदेश

11.08.2026 दानापुर थाना कांड संख्या– 697/2026, भा0न्या0सं0 की धारा 303(2) से संबंधित है, के याची अभियुक्त की ओर से यह नियमित जमानत आवेदन दाखिल किया गया है।

इस आवेदन पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

काण्ड के सूचिका मंजूषा देवी, के द्वारा दिये गये आवेदन के अनुसार अभियोजन कथानक सार रूप से इस प्रकार है कि दिनांक 23.06.2026 को लगभग 02:10 बजे दिन में सूचिका द्वारा आरोप लगाया गया कि एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसके घर से साइकिल चोरी कर ली गई। उक्त घटना CCTV फुटेज में दर्ज होना बताया गया है। इस संबंध में प्रस्तुत प्राथमिकी दर्ज की गई।

जमानत आवेदन में साररूप से कथन किया गया है कि आवेदक अभियुक्त की ओर से इस कांड के संदर्भ में इस जमानत आवेदन के अतिरिक्त कोई अन्य अग्रिम जमानत आवेदन या नियमित जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक का कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्त की ओर से निवेदन किया गया कि वह र्निदोष है तथा उसे झूठे और मनगढ़ंत मामले में फंसाया गया है। आवेदक छात्र है तथा सभ्य परिवार से संबंध रखता है। अनुसंधान के दौरान सह–आरोपी अभिषेक शर्मा की गिरफ्तारी के बाद उसके सूचना के आधार पर आवेदक को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। आवेदक के कब्जे से कोई भी चोरी की सामग्री बरामद नहीं हुई है। आवेदक को केवल संदेह के आधार पर फंसाया गया है। आवेदक न्यायालय से सहयोग करने तथा विचारण का सामना करने को तैयार है। अभियुक्त 24.06.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत आवेदन में उल्लिखित आधारों पर आवेदक अभियुक्त को जमानत प्रदान करने का अनुरोध किया।

विद्वान अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध किया।

उपरो पक्षों को सुना गया तथा कांड दैनिकी एवं LCR का अवलोकन किया। आवेदक पर आरोप है कि उसने सूचिका की साइकिल चोरी कर ली। आवेदक इस काण्ड का नामित अभियुक्त नहीं है, परन्तु वादिनी द्वारा अनुसंधानक को काण्ड दर्ज होने के पश्चात यह सूचना दी कि उक्त चोरी की गई साइकिल के साथ अभियुक्त अपने घर पर है। सूचना के सत्यापन के पश्चात इस काण्ड के अनुसंधानक आवेदक एवं अन्य अभियुक्त के साथ चोरी की गई साइकिल को बरामद किया। काण्डिका 21 के अनुसार आवेदक का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है और इस काण्ड में अनुसंधान

<u>न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश सप्तम्, दानापुर</u>

(उपस्थितः— संतोष कुमार गुप्ता, अपर सत्र न्यायाधीश सप्तम्, दानापुर)

<u>जमानत आवेदन संख्या— 871/2026</u>

(दानापुर थाना कांड संख्या— 697/2026)

<u>लगातार</u>

11.08.2026 समाप्त हो चुका है एवं आरोप पत्र अनुसंधानक द्वारा समर्पित किया गया है। अभियुक्त दिनांक 24.06.2026 से काराधीन है।

अतः प्रस्तुत तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में अभियुक्त को नियमित जमानत पर मुक्त करना न्यायोचित प्रतीत होता है। फलतः अभियुक्त/आवेदक का नियमित जमानत आवेदन **<u>स्वीकार</u>** किया जाता है।

अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों तथा आवेदक की कारावधि को ध्यान में रखते हुए आवेदक अभियुक्त की ओर से दस हजार के दो स्थानीय प्रतिभुओं से समर्थित बंधपत्र दाखिल करने पर जमानत पर छोड़े जाने का आदेश दिया जाता है।

कार्यालय इस आदेश की प्रति विद्वान विचारण न्यायालय को प्रेषित करे।

लेखापित

(संतोष कुमार गुप्ता)
अपर सत्र न्यायाधीश, सप्तम्
व्यवहार न्यायालय दानापुर।
(11.08.2026)